

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जुहर बनाम अरसीदा वगैरा

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
वाद पत्र - धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद संख्या 371 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

022

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 02-09-2022 को पेश हो।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी

आज पत्रावली पेश की वादी अधिवक्ता
की तलबी की जाये वाद 188 एडि 188 एडि
व मालवनाथ क निवाड मयसम को पत्रावली
पत्रावली 21/09/22 एडि पत्रावली वास्ते 11/9/22
दिनांक 06/09/22 को पत्रावली *[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

09

6 09

आज पत्रावली पेश हुई। *[Signature]* उपखण्ड
अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
दिनांक 12/9/22 को पेश हो।

12/09/22 उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
आज पत्रावली पेश हुई। अतिभाषक जज
द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली
दिनांक 23/09/22 को पेश हो।

आज पत्रावली पेश हुई। *[Signature]* उपखण्ड
अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०
दिनांक 02/12/22 को पेश हो।

23/09/22 उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
आज पत्रावली पेश हुई। अतिभाषक जज
द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली
दिनांक 02/12/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

02/12/22

आज पत्रावली पेश की वादी अधिवक्ता
अपना वाद Not Press कर जाति है। निदेश निवाड
वादी अधिवक्ता पत्रावली की जाति है वाद पत्रावली
वादी अधिवक्ता Not Press पर वादी के वाद जाति
पत्रावली वाद निवाड तमनीन जज को रफ एडि 51/09/22
दफ्तर हो। *[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी

Note
Press
[Signature]
2-12-22